न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 86/2013/ जिला–अजमेर (2013/00099)

माधोप्रसाद चौखानी पुत्र स्व0 श्री मोतीलाल चौखानी निवासी न्यू कोटन प्रेस कम्पाउण्ड, रेलवे स्टेशन के पास ब्यावर जिला अजमेर।

–––अपीलांट

बनाम

1. रमेश चन्द पुत्र कन्हैयालाल सरावगी, निवासी मु0 कन्हैयाकुटी, सरावगी लौन्स मूर्तिजापुर रोड अकोला महाराष्ट्र।
2. सुभाषचन्द पुत्र कन्हैयालाल सरावगी, निवासी चाणक्यपुरी अर्पाटमेन्ट, जठारपेठ, अकोला महाराष्ट्र।
3. श्रीमति राजेश्वरी देवी पत्नी महावीर प्रसाद निवासी 25, लापपोर्ट गली पाण्डेचेरी
4. मुकेश पुत्र महावीर प्रसाद निवासी 25, लापपोर्ट गली पाण्डेचेरी
5. श्रीमती चन्द्रलेखा पुत्री श्री मोतीलाल चौखानी पत्नी श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी हाऊस नम्बर बी–43, सतकरतार कॉलोनी, गली नम्बर 1 नियर 8 मारला पानीपत, हरियाणा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।

––––रेस्पोन्डेन्ट

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, ब्यावर दिनांक 24–04–2013
बउनवान माधोप्रसाद चौखानी बनाम रमेशचन्द व अन्य

–––

उपस्थित– 1. श्री जे0के0पुरोहित़, अभिभाषक, अपीलांट
2. श्री वी एस राठौड़, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5

निर्णय

दिनांकः– 27.03.2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार, ब्यावर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 1–8–2012 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम छावनी प्रेड तहसील ब्यावर में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 189 लगायत 196 व 197/2 कुल रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में मोतीलाल मुतबन्ना रामकंवर कॉम महाजन के नाम चली आ रही है। श्री मोतीलाल

ने उक्त आराजियात बाबत अपने जीवनकाल में दिनांक 28–10–96 को एक वसीयतनामा अपनी पत्नी श्रीमती रतन कंवर के पक्ष में निष्पादित किया। मोतीलाल के स्वर्गवास के पश्चात श्रीमती रतनकंवर ने दिनांक 25–4–2000 को उक्त भूमि का वसीयतनामा अपने पुत्र अपीलांट माधोप्रसाद चौखानी के पक्ष में निष्पादित किया। श्रीमति रतनकंवर का दिनांक 5–1–2007 को स्वर्गवास होने के पश्चात वसीयतनामा के आधार पर ग्राम छावनी प्रेड तहसील ब्यावर स्थित उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष में किया जावे। तहसीलदार ब्यावर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 1–8–2012 को इस आश्य की आम सूचना आपत्ति बाबत प्रकाशित की गई कि किसी भी व्यक्ति संस्था एवं आमजन को इस वसीयतनामें के आधार पर की जा रही कार्यवाही में कोई आपत्ति या हित हो तो सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति मय दस्तावेजी साक्ष्य दर्ज कराकर सुनवाई में अपना पक्ष रखने को स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार, ब्यावर द्वारा वसीयत के गवाह श्री बी0एम0व्यास एवं ए0के0शर्मा को तलब कर उनके बयान लिये जाकर वसीयत का सत्यापन कराया गया तथा श्री मोतीलाल के अन्य वारिसान जिनमें श्रीमति राजेश्वरी देवी पत्नी स्व0 श्री महावीर प्रसाद, मुकेश पुत्र स्व0 श्री महावीर प्रसाद व श्रीमति चन्द्रलेखा पुत्री मोतीलाल व पत्नी रविन्द्र कुमार गर्ग को भी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया जिनमें से श्रीमति राजेश्वरी देवी व श्री मुकेश द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिसमें उनके द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति में स्वयं का किसी प्रकार का दावा, हित रखने से इन्कार किया गया। श्रीमति चन्द्रलेखा बावजूद पर्याप्त तामीली के अनुपस्थित रही। रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 व 2 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि विवादग्रस्त आराजियात में स्थित वाणिज्यक उपक्रम मैसर्स न्यू कॉटन एण्ड वूलन प्रेसिंग ब्यावर के भागीदारों के मध्य विवाद होने से एक अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए उक्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलांट के नाम नहीं खोला जा सकता है जिस पर तहसीलदार ब्यावर ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपीलांट को सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर नियमानुसार अनुतोष प्राप्त करने के आदेश प्रदान कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि तहसीलदार ब्यावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–4–2013 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। जिसकी अपीलांट को जानकारी नहीं थी क्योंकि तहसीलदार ब्यावर द्वारा दिनांक 21–1–2013 को उक्त प्रकरण को अपीलांट द्वारा उक्त प्रकरण का अतिरिक्त

कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर को परीक्षण हेतु निवेदन करने पर पत्रावली भेजे जाने तक प्रकरण में सुनवाई लम्बित रखे जाने के आदेश जारी किये थे। इसी बीच अपीलांट का ऑपरेशन होने के कारण फोर्टीज एस्कोर्ट अस्पताल में भर्ती रहने के कारण उपस्थित नहीं हो सका था। तहसीलदार ब्यावर द्वारा अपीलाधीन आदेश की सूचना दिनांक 24–4–2013 को जरिये डाक भिजवा दी थी किन्तु अपीलांट चलने फिरने की स्थिति में नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। तत्पश्चात दिनांक 8–11–2013 को अपीलांट पूर्णतया स्वस्थ होने पर उसके द्वारा माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11–11–2013 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 18–11–2013 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात संबंधित दस्तावेजात तैयार कर अपीलांट द्वारा अभिभाषक से सम्पर्क कर दिनांक 24–11–2013 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 25–11–2013 को अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य–मुख्य तर्क यह दिये कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत को उसके गवाहों द्वारा पूर्णरूपेण साबित कराया गया था जिसके फर्जी अथवा कूटरचित होने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक मोतीलाल के वारिस अपीलांट माधोप्रसाद के भाई स्व0 महावीर प्रसाद के पुत्र दक्ष एवं महावीर की पत्नी राजेश्वरी देवी एवं मोतीलाल की पुत्री चन्द्रलेखा को अपना पक्ष रखने हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया था जिस पर दक्ष पुत्र महावीर एवं राजेश्वरी पत्नी महावीर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर विवादग्रस्त सम्पत्ति में स्वयं का किसी भी तरह का दावा या हित रखने से इंकार किया है। जहां तक चन्द्रलेखा का प्रश्न है उस पर पर्याप्त नोटिस तामील होने के बावजूद वह अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई जो इस तथ्य को साबित करता है कि वह अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयत को लेकर कोई दुर्भावना नहीं रखती है और ना ही उक्त सम्पत्ति में अपना कोई दावा करती है। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय का यह विधिक दायित्व था कि जब मृतक मोतीलाल की सम्पत्ति को लेकर उसके द्वारा निष्पादित वसीयत के संबंध में उसके वारिसों के मध्य कोई विवाद नहीं है तो वह अपीलांट द्वारा

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विवादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष में खोलते परन्तु तहसीलदार द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण नहीं खोलकर विधिक भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार ब्यावर द्वारा रेस्पोन्डेन्ट रमेशचन्द्र की आपत्ति के आधार पर विवादग्रस्त आराजी में स्थापित वाणिज्यक उपक्रम मैसर्स न्यू कॉटन एण्ड वूलन प्रेसिंग ब्यावर की भागीदारी फर्म के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के प्रकरण को प्रथम दृष्टया विवादित मानते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है जबकि तहसीलदार ब्यावर ने इस कानूनी एवं तथ्यात्मक स्थिति को नजरअन्दाज कर दिया कि उक्त वाद विवादग्रस्त आराजी के स्वामित्व बाबत ना होकर उक्त विवादग्रस्त आराजी पर स्थित ववाणिज्यक उपक्रम की भागीदारी के संबंध में है। ऐसे में आपत्तिकर्ता रेस्पोन्डेन्ट की आपत्ति चलने योग्य नहीं थी क्योंकि अपीलांट के पक्ष में विवादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण खोलने से उक्त वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उक्त विधिक तथ्य को नजर अन्दाज कर तहसीलदार, ब्यावर द्वारा विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार, ब्यावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है जिसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि तहसीलदार ब्यावर द्वारा दिनांक 21–1–2013 को उक्त प्रकरण को अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर को परीक्षण करने हेतु निवेदन करने पर पत्रावली जिला कलक्टर को भेजे जाने तक प्रकरण में सुनवाई लम्बित रखे जाने के आदेश जारी किये थे। इसी बीच अपीलांट का जयपुर में बाये कुल्हे का ऑपरेशन होने के कारण 7 मार्च से 14 मार्च तक फोर्टीज एस्कोर्ट हास्पिटल में भर्ती रहने के दौरान अपीलाधीन आदेश पारित किया था तथा करीब दो माह तक उपचार के पश्चात दिनांक 8–11–2013 को पूर्णतया स्वस्थ होने पर उक्त अपीलाधीन आदेश की अपील की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 18–11–2013 को नकल प्राप्त हुई।

उनका यह भी तर्क है कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया कि प्रकरण की विषय वस्तु वाली भूमियां कब, किस प्रकार व किस दस्तावेज के जरिये कथित भागीदारी फर्म की हुई। आपत्तिकर्तागण की ओर से स्वयं के कथित भागीदार फर्म में भागीदार होने बाबत तथा प्रकरण की विषय वस्तु वाली भूमियों के भी कथित भागीदारी फर्म होने बाबत कोई प्रामाणिक व न्यायिक सन्तुष्टिप्रद दस्तावेजी साक्ष्य भी विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये। अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र माननीय उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। स्वीकृत तौर पर माननीय उच्च न्यायालय में संबंधित प्रकरण का सन् 1990 से लम्बित चला आ रहा होना प्रतीत होता है। यदि वास्तव में ही आपत्तिकर्तागण के कथित जैसे कोई अधिकार होते तो उनके द्वारा

माननीय उच्च न्यायालय में इस बाबत अनुतोष प्राप्ति की कार्यवाही की जाती जो उनके द्वारा नहीं की गई है और ना ही आपत्तिकर्तागण के पक्ष में व मौजूदा अपीलार्थी की जो भी उक्त विधिक कार्यवाही में पक्षकार है, के विरूद्ध आपत्ति में चाहे गये जैसा कोई अनुतोष आज दिवस तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त नहीं किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय में इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी की है कि दीवानी न्यायालय में रूप में अपर जिला जज ब्यावर जिला अजमेर द्वारा बाद सुनवाई पारित किये गये प्रभावी व बाध्यकारी निर्णय दिनांक 31–3–1990 व आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में भी कथित आपत्तिकर्तागण के कोई भी अधिकार, स्वत्व, हित या कब्जा आदि प्रकरण की विषय वस्तु पर नहीं होना प्रथम दृष्टया तो क्या पूर्णतया प्रमाणित था व है। इसके बावजूद प्रकरण को प्रथम दृष्टया विवादित होना मानने की गंभीर तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि किये जाने के कारण भी उक्त आदेश अपास्तनीय है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आपत्तिकर्तागण ने बिना किसी तथ्य, आधार व कारण व औचित्य के मात्र अपीलांट को व्यर्थ में हैरान, परेशान करने हेतु आपत्तियां प्रस्तुत की थी जिनकी पुष्टि स्वरूप उनके द्वारा कोई प्रमाणित व न्यायिक सन्तुष्टिप्रद दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त तथ्यों की अनदेखी कर तहसीलदार, ब्यावर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, ब्यावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–4–2013 निरस्त किया जाकर श्रीमति रतन कंवर द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 25–4–2000 को निष्पादित वसीयत नामे के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादग्रस्त आराजियात में स्थित वाणिज्यक उपक्रम मैसर्स न्यू कॉटन एण्ड वूलन प्रेसिंग ब्यावर के भागीदारों के मध्य विवाद होने से एक अपील माननीय उच्च न्यायलय जयपुर में विचाराधीन है। उक्त विवाद फर्म के भागीदारों के मध्य है लेकिन भागीदारी फर्म के द्वारा संचालित वाणिज्यक /औद्योगिक उपक्रम मैसर्स न्यू कॉटन एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री ब्यावर विवादग्रस्त आराजियात के भाग पर स्थित होने के कारण जब तक उच्च न्यायालय से निर्णय नहीं हो जाता तब तक नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार, ब्यावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–4–2013 विधिसम्मत है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसील ब्यावर छावनीप्रेड में स्थित विवादग्रस्त आराजियात हाल खसरा नम्बर 189 लगायत 196 व 187/2 कुल

रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में मोतीलाल मुतबन्ना रामकंवर कौम महाजन के नाम से दर्ज चली आ रही है। श्री मोतीलाल द्वारा विवादग्रस्त आराजियात को अपने जीवन काल में दिनांक 28–10–96 को एक वसीयतनामा अपनी पत्नी श्रीमती रतन कंवर के पक्ष में निष्पादित कर दिया। मोतीलाल के स्वर्गवास के पश्चात श्रीमती रतन कंवर ने दिनांक 25–4–2000 को एक वसीयतनामा अपने पुत्र (अपीलांट) माधोप्रसाद चौखानी के पक्ष में निष्पादित कर दिया। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 39 के तहत कोई खातेदार आसामी अपनी भूमि क्षेत्र में अपने हित या हितान्ष को उस व्यक्तिगत कानून के तहत जिसके वह अधीन है, अंतिम इच्छा पत्र के द्वारा वसीयत में दे सकता है। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के अनुसार यदि कोई हिन्दु व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का निस्तारण अपनी इच्छा अनुसार करने का हकदार हो तो वह अपनी सम्पत्ति का इच्छा पत्र या अन्य वसीयत व्ययन कर सकता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार वसियत वसियतकर्ता की विधिक घोषणा है जिसके अन्तर्गत वह अपनी सम्पत्ति को अपनी मृत्यु के पश्चात उसकी इच्छानुसार व्यवस्थित करता है । इसी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वसियत का अनुप्रमाणित होना आवश्यक है । वसियत या अन्य दस्तावेजों के निष्पादन का अर्थ निष्पादनकर्ता द्वारा अनुप्रमाणक साक्षी के समक्ष हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर सुपुर्द कर देना है। वसियत का पंजिकृत होना आवश्यक नहीं है, इसलिए वसीयत को अनुप्रमाणित कराना आवश्यक होता है। अभिलेख पर उपलब्ध वसीयत दिनांक 25–4–2000 पर दो गवाहों के हस्ताक्षर है एवं उसे नोटेरी पब्लिक द्वारा भी प्रमाणित किया हुआ है। साथ ही विवादग्रस्त आराजियात अपीलांट की माता रतन कंवर चौखानी पत्नी स्व0 मोतीलाल चौखानी की मृत्यु के पश्चात उसे पुत्र अपीलांट माधोप्रसाद चौखानी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिए। वसीयतनामें के आधार पर तहसीलदार, ब्यावर को अपीलाट के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था।

बहस के दौरान रेस्पोन्डेन्ट का कथन की विवादग्रस्त आराजियात के कुछ भाग पर वाणिज्यक उपक्रम मैसर्स न्यू कॉटन एण्ड वूलन प्रेसिंग ब्यावर के भागीदारें के मध्य विवाद होने से एक अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष में नहीं खोला जावे, के संबंध में कोई स्थगन आदेश भी पारित नहीं किया है। साथ ही विवादग्रस्त आराजियात में रेस्पोन्डेन्ट्स का कोई हक अधिकार एवं स्वत्व निहित नहीं है, केवल वाणिज्यक उपक्रम स्थापित होने से विवादग्रस्त आराजियात पर रेस्पोन्डेन्ट्स के अधिकार निहित नहीं हो सकते है।

इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, ब्यावर द्वारा मृतक मोतीलाल के वारिस अपीलांट माधोप्रसाद के भाई स्व0 महावीर प्रसाद के पुत्र दक्ष एवं महावीर की पत्नी राजेश्वरी देवी एवं मोतीलाल की पुत्री चन्द्रलेखा को अपना पक्ष रखने हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया था जिस पर दक्ष पुत्र

महावीर एवं राजेश्वरी पत्नी महावीर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर विवादग्रस्त सम्पत्ति में स्वयं का किसी भी तरह का दावा या हित रखने से इंकार किया है। जहां तक चन्द्रलेखा का प्रश्न है उस पर पर्याप्त नोटिस तामील होने के बावजूद वह अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई जो इस तथ्य को साबित करता है कि वह अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयत को लेकर कोई दुर्भावना नहीं रखती है और ना ही उक्त सम्पत्ति में अपना कोई दावा करती है। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय का यह विधिक दायित्व था कि जब मृतक मोतीलाल की सम्पत्ति को लेकर उसके द्वारा निष्पादित वसीयत के संबंध में उसके वारिसों के मध्य कोई विवाद नहीं है तो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष में स्वीकृत करना चाहिए किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर विधिक भूल की गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार ब्यावर ने इस कानूनी एवं तथ्यात्मक स्थिति को नजरअन्दाज कर दिया कि उक्त माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद विवादग्रस्त आराजी के स्वामित्व बाबत ना होकर वाणिज्यक उपक्रम की भागीदारी के संबंध में है। ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता रेस्पोन्डेन्ट्स की आपत्ति चलने योग्य नहीं थी क्योंकि अपीलांट के पक्ष में विवादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण खोलने से उक्त वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तहसीलदार, ब्यावर को श्रीमती रतन कंवर द्वारा दिनांक 25–4–2000 को अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए था। उक्त विधिक तथ्य को नजर अन्दाज कर तहसीलदार, ब्यावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–4–2013 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर उन्हें आदेश दिये जाते है कि विवादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण श्रीमती रतन कंवर द्वारा अपीलांट श्री माधोप्रसाद चौखानी के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर स्वीकृत किया जावे।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, ब्यावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाक 24–4–2013 बउनवान माधोप्रसाद चौखानी बनाम श्री रमेश चन्द व अन्य निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, ब्यावर को प्रेषित कर उन्हें आदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण श्रीमती रतन कंवर द्वारा अपीलांट श्री माधोप्रसाद चौखानी के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर स्वीकृत किया जावे।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर